न्यायालय में श्रीमान् अध्यक्ष महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर (म०प्र०)

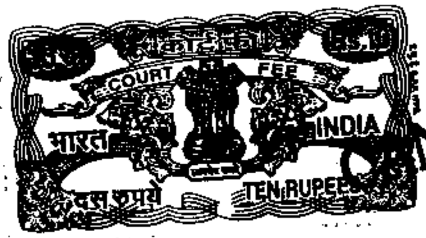
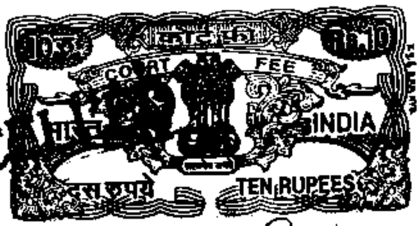

निगरानी 1481-II-15

जानकी बाई पिता सवनू सिंह गोंड सा0 रौसरखार तहसील पुष्पराजगढ़ जिला अनुपपुर (म0प्र0) .... निगराकार

बनाम

1. ....नू पिता सम्हारू उर्फ खुइआ गोंड
2. हरी सिंह पिता सवनू सिंह गोंड
3. तुलसी सिंह पिता सवनू सिंह गोंड
4. ज्ञान सिंह पिता सवनू सिंह गोड
5. छीता बाई पिता सवनू सिंह गोंड, सभी निवासी ग्राम रौसरखार तहसील पुष्पराजगढ़ जिला अनुपपुर (म0प्र0)...गैरनिगराकार

<u>राजस्व निगरानी विरूद्ध आदेश अनुविभागीय अधिकारी पुष्पराजगढ जिला अनुपपुर दिनांक 27.03.2015 वरूबे रा.प्र.क्र. 66/अपील/2013– 14 निगरानी अन्तर्गत द्वारा 50 म0प्र0भू0रा0 संहिता</u>

क्रमांक 5691 ..... आज रजिस्टर्ड पोस्ट ..... को प्राप्त 9-6-15

व0 मान्यवर,

राजस्व ..... ग्वालियर

निगराकार निम्नानुसार निगरानी पेश कर विनय करता है:–

<u>मामले का संक्षिप्त तथ्य</u>

ग्राम रौसरखार प0ह0 रौसरखार तह0 पुष्पराजगढ़ जिला अनुपपुर स्थित खसरा नं0 27/2, 27/3, 28/2, 28/3, 44, 47/2, 48, 63, 64, 80/2, 91, 94, 95, 105, 109, 110, 111, 112/1, 119, 122/4, 153/2, 167/4, 168/7, 172/5, 323, 335/2, 335/5 रकवा क्रमशः 0.809, 1.214, 1.214, 2.428, 1.011, 1.189, 1.008, 0.045, 0.425, 0.405, 1.100, 0.773, 0.024, 1.797, 0.547, 0.287, 0.802, 1.104, 0.644, 0.405, 0.809, 0.142, 0.121, 0.024, 0.045, 0.405, 0.405 हे0 कुल किता 27 रकवा 19.182 हे0 निगराकार एवं गैरनिगराकार की पैतृक भूमियां हैं ।

निगराकार एवं गैर निगराकार क्र0 2 ता 5 गैर निगराकार क्र0 1 सवनू सिंह के सन्तान हैं जिनका उक्त समस्त आराजियात में बराबर–बराबर का हक व हिस्सा है । गैर निगराकार क्र0 1 द्वारा निगराकार को उपरोक्त समस्त आराजी का 1/6 का हिस्सा न दे कर छल–कपट करके मात्र खसरा नं0 167/4 रकवा 0.142, 168/7 रकवा 0.121 एवं 172/5 रकवा 0.024 हे0 कुल रकवा 0.287 हे0 भूमि पारिवारिक हिस्सा बांट का जाली एवं फर्जी तरीके से पटवारी से पुल्ली तैयार कराकर नामान्तरण कराया गया, जबकि निगराकार उक्त समस्त भूमि

R-1481-II/15 अनूपपुर

3/8/16

आवेदक अधि० श्री- एस.एम. शर्मा के आवाज लगवाई गई। कोई उपस्थित नहीं। अतः अनुपस्थिति होने के कारण मुकदमा अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।

[signature]

M